संचिका संख्या :15/औ० –14–16/2022 –............................/स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!! संकल्प !!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **श्री नीरज हृदय, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, नवादा – 02 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना** के पदस्थापन काल में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अपने कार्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेशों के अवहेलना के आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प किया है कि उक्त **श्री हृदय** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाए।

2. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह– संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी** तथा **श्री नीरज कुमार मानस, सहायक औषधि नियंत्रक, नवादा को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थापन पदाधिकारी** नियुक्त किया जाता है।

3. **श्री नीरज हृदय** से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वंय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चत करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(हिमांशु शर्मा)

सरकार के विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : **15/औ 14–16/2022 –........................पटना/दिनांक –..................2026**

प्रतिलिपि : आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह– संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचालन पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रस्तुत मामले की जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ 14–16/2022 –.........................पटना/दिनांक –...................2026

प्रतिलिपि : आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित श्री नीरज कुमार मानस, सहायक औषधि नियंत्रक, नवादा (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ 14–16/2022 –.........................पटना/दिनांक –...................2026

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, नवादा/राज्य औषधि नियत्रक, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा/उप औषधि नियंत्रक, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ 14–16/2022 –233(15A) पटना/दिनांक –30/03/2026

प्रतिलिपि : श्री नीरज हृदय, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, नवादा–02 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना(पिता– राम हृदय राय, कन्हौली, बावन बिघा, रोड नं०–08, पो०–रमना,थाना–मिठनपुरा, मुसहरी, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842002, बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

पूरक आरोप–पत्र

[नियम – 17(3) तथा विनियम 3 द्रष्ट्व्य]

(1). प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.नाम	–	श्री नीरज हृदय
2.पदनाम	–	औषधि निरीक्षक, नवादा – 02 (सम्प्रति निलंबित)
3.जन्म तिथि	–	10.04.1980
4.सेवानिवृति की तिथि	–	30.04.2040
5.सेवा/संवर्ग का नाम	–	बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग
6.पद समूह एवं विभाग	–	'ख'/स्वास्थ्य विभाग
7.वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	–	66
8.वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे/वेतन पर	–	ग्रेड पे–5400 लेवल–9
9.आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	–	2022/नवादा–02, नवादा।
10.बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत कालबाधित होने की तिथि	–	लागू नहीं।

24/3/26

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

233(ISA)
30/03/2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

(2). द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

श्री नीरज हृदय, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, नवादा–02 सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा प्रतिवेदित आरोप/आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–533(15), दिनांक–02.05.2025 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया एव निलंबन अवधि में मुख्यालय, निदेशालय औषधि नियत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य भवन शेखपुरा, पटना निर्धारित किये जाने के उपरांत श्री हृदय द्वारा निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिये जाने एवं अनाधिकृत अनुपस्थित संबंधी पूरक आरोप रहने के संबंध में।

24/3/26

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

233(15A)
30/03/2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

(3). तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1 श्री नीरज हृदय, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, नवादा–02 सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा प्रतिवेदित आरोप/आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–533(15), दिनांक–02.05.2025 द्वारा श्री कुमार को निलबित किया गया एवं निलबन अवधि में मुख्यालय, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य भवन शेखपुरा, पटना निर्धारित किया गया।

1. श्री हृदय निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिये एवं अना्धिकृत रूप से अनुपस्थि रहे। श्री हृदय का उपस्थिति सुनिश्चत करने हेतु विभाग द्वारा सामाचार पत्रों में भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी गयी परन्तु श्री कुमार अद्यतन अनुपस्थित हैं।

2. विभाग/ अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री हृदय के उक्त कृत्य(अना्धिकृत अनुपस्थिति) के लिए भी विभागीय पत्रांक–1096(15), दिनांक–12.11.2025 द्वारा निर्गत आरोप पत्र के साथ–साथ अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

24/3/26

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

233(15A)
30/03/2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

(4). चतुर्थ भाग – (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र० सं०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक– 533(15), दिनांक – 02 05.2025	कुल 2 पृष्ठ
2.	विभागीय ज्ञापन सख्या – 1096(15), दिनांक – 12.11.2025	कुल 1 पृष्ठ
3.	विभागीय पत्राक–1253(15), दिनांक–31.12 2025	कुल 2 पृष्ठ

कुल 5 (पाँच) पृष्ठ

(ख) साक्षियों की सूची

(नाम एवं पदनाम) :– (1) राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार,।

(2) श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा, उच्च वर्गीय लिपिक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना।

25/3/26

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

233(15A)
30/03/2026